न्यायालय उप जिलाधिकारी मेंहनगर,आजमगढ़।

वाद संख्या 112 धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा—कम्हरिया,परगना—बेलहाबास
योगेन्दर बनाम गॉवसभा

प्रार्थी योगेन्दर महाविद्यालय कम्हरिया खरिहानी आजमगढ़ द्वारा प्रबन्धक इन्द्रसेन यादव पुत्र श्री योगेन्दर यादव निवासी ग्राम व पोस्ट—कम्हरिया,तहसील—मेंहनगर,जनपद— आजमगढ़ ने गॉवसभा कम्हरिया बजरिए ग्रामप्रधान कम्हरिया परगना—बेलहाबास,तहसील— मेंहनगर, जनपद—आजमगढ़ को बतौर प्रतिवादी बनाते हुए मौजा कम्हरिया बेलहाबास तहसील —मेंहनगर, स्थित खाता नं0 00491,00489,00628 00262,00294,00394,00098,00469 की कुल गाटा संख्या 9 एवं रकबा 0.903है0 पर योगेन्दर महाविद्यालय कम्हरिया खरिहानी आजमगढ़ निर्मित है। इसका कोई भी भाग कृषि प्रयोजन मे नही लाया जाता है। इस पर कृषि कार्य नही होता है। उस आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने का निवेदन किया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार महोदय मेंहनगर को प्रेषित की गयी। आख्या के उपरान्त पत्रावली प्राप्त हुई जिसमे उल्लेख किया गया है कि मौजा कम्हरिया ,बेलहाबास तहसील मेंहनगर स्थित खाता संख्या 00491,00489,00628 00262,00294,00394,00098,00469 की कुल गाटा संख्या 9 एवं रकबा 0.903है0 मे से 362है0 पर बिल्डिंग निर्मित है। इसका कोई भी भाग कृषि प्रयोग मे नही लाया जाता है। इस पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त भूमि सुरक्षित है। अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादी के तर्क को सुना गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा कम्हरिया,परगना—बेलहाबास,तहसील—मेंहनगर, खाता संख्या 00491, 00489,00628 00262,00294,00394,00098,00469 की कुल गाटा संख्या 9 एवं रकबा 0.903है0 पर योगेन्दर महाविद्यालय कम्हरिया खरिहानी आजमगढ़ निर्मित है। जिसकी चौहद्दी पूरब—मेनरोड, पश्चिम —महाविद्यालय की भूमि,उत्तर— सत्यदेव का चक, दक्षिण—रास्ता स्थित है। इसका कोई भी भाग कृषि के प्रयोग मे नही लाया जाता है। इस पर कृषि । भाग कृषि के कार्य नही होता है। ऐसी स्थिति मे उक्त आराजी नं0 770क मि0, 770ख मि0, 799क, 770ग मि0, 808क, 808ख, 770घ मि0, 791 मि0, 813ख, ज0वि0अधि0 की धारा 143 के नियम 135 के तहत अकृषिक प्रख्यापित किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

आदेश

अतः मौजा कम्हरिया परगना—बेलहाबास तहसील—मेंहनगर, स्थित खाता संख्या 00491, 00489,00628 00262,00294,00394,00098,00469 की कुल गाटा संख्या 770क मि0, 770ख मि0, 799क, 770ग मि0, 808क, 808ख, 770घ मि0, 791 मि0, 813ख, एवं कुल रकबा 0.903है0 पर योगेन्दर महाविद्यालय कम्हरिया खरिहानी आजमगढ़ निर्मित है। जिसकी चौहद्दी पूरब—मेनरोड, पश्चिम—महाविद्यालय की भूमि, उत्तर—सत्यदेव का चक, दक्षिण—रास्ता चौहद्दी स्थित है। इसका कोई भी भाग कृषि प्रयोजन मे नही लाया जाता है। इस पर कृषि कार्य नही होता है। अतः उक्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न/अकृषिक आवेदक के नाम आबादी श्रेणी 6(2) प्रख्यापित किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबन्धक मेंहनगर, को भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आवश्यक अनुपालन के पश्चात पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 15-1-15

(संजीव रंजन)
उप जिलाधिकारी
मेंहनगर,आजमगढ़।

परवाना अमलदरामद

न्यायालय उप जिलाधिकारी मेंहनगर,आजमगढ़।

वाद संख्या 112 धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा–कम्हरिया,परगना–बेलहाबास
योगेन्दर बनाम गॉवसभा

तहसीलदार
मेंहनगर,आजमगढ़।

आदेश दिनांक 9-1-15 के क्रम मे की मौजा कम्हरिया परगना–बेलहाबास तहसील–मेंहनगर,स्थित खाता 00491,00489,00628,00262,00294,00394 00098,00469 की कुल गाटा संख्या 770क मि0,770ख मि0,799क, 770ख मि0,808क,808ख 770ख मि0 , 791 मि0, 813 घ एव कुल रकबा 0.803 हे0 पर योगेन्दर महाविद्यालय कम्हरिया खरिहानी आजमगढ़ निर्मित है। जिसका चौहद्दी पूरब–मेनरोड, पश्चिम–महाविद्यालय की भूमि,उत्तर–सत्यदेव का चक, दक्षिण–रास्ता चौहद्दी स्थित है।इसका कोई भी भाग कृषिक प्रयोग मे नही लाया जाता है। इस पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न/अकृषिक आवेदक के नाम आबादी श्रेणी 6(2) प्रख्यापित किया जाता है। अमल दरामद के पश्चात पत्रावली की दूसरी प्रति इस न्यायालय को शीघ्र वापस करे।
दिनांक 15-1-15

उप जिलाधिकारी
मेंहनगर,आजमगढ़।